अवर न्यायाधीश
सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0– 191 सन् 2006

ठाकुर राम जानकी मंदिर न्यास समिति द्वारा सचिव
बनाम
विनोद कुमार सिंह व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांकः–
09.09.2019

उभय पक्षों की हाजिरी दी गई। अभिलेख को आवेदन दिनांक 27.06.2019 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रस्तुत वाद में रामेश्वर सिंह उर्फ राजेश्वर सिंह की ओर से वाद में हस्तक्षेपक बनाने हेतु एक आवेदन दिया गया है जिसमें उनका कहना है कि इस वाद की तकरारी भूमि के अंशभाग को रामलोचन सिंह ने निबंधित बैनामा दिनांक 24.02.1953, 26.04. 1954 एवं दस माह 1348 फसली को द्वारा प्राप्त किया एवं रामलोचन सिंह अपने पीछे दो पुत्र सत्यनारायण सिंह एवं रामेश्वर सिंह उर्फ राजेश्वर सिंह को छोड़कर मर गए एवं सत्यनारायण सिंह भी अपने पीछे एक पुत्र विनोद कुमार सिंह को छोड़कर मर गए जो इस वाद में प्रतिवादी सं0 1 हैं।

आवेदक का आगे कहना है कि प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा जो शपथ पत्र दाखिल किया गया है उसके कंडिका 26 में उल्लिखित भी किया है कि

सत्यनारायण सिंह व क्रेता को तकरारी भूमि के अंशभाग का मुआवजा लोक अभियंत्रण विभाग से सड़क बनाने हेतु अधिग्रहण किए जाने के कारण प्राप्त किया है एवं उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि रामलोचन सिंह के दूसरे पुत्र रामेश्वर सिंह इस वाद में आवश्यक पक्षकार हैं लेकिन बदनियति से उन्हें इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है, क्योंकि आवेदक रामेश्वर सिंह अवकाश ग्रहण करने के पश्चात् देवघर में घर बनाकर रहते हैं, यद्धपि वे अपने गांव आते जाते रहते हैं तथा अपने भूमि की देखभाल करते रहते हैं लेकिन इस वाद की जानकारी उन्हें हाल में हुई एवं इस वाद में हकियत का प्रश्न समाहित है, जिसके कारण वे वाद में आवश्यक पक्षकार हैं। अतः इस वाद में पक्षकार बनाया जाए।

दूसरी तरफ वादी द्वारा आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया जिसमें उनका कहना है कि आवेदक का आवेदन खारिज योग्य है, क्योंकि आवेदक प्रतिवादी सं0 1 के अपने चाचा एवं मेली व्यक्ति हैं एवं मुकदमे के निस्तारण में विलंब करने हेतु यह आवेदन दाखिल किया गया है एवं प्रस्तुत मुकदमे में वादी की गवाही चल रही है एवं इस वाद में विनोद कुमार सिंह जो प्रतिवादी सं0 1 हैं, वे हस्तक्षेपक के अपने भतिजा हैं अतः उन्होंने यह कहा कि वाद की जानकारी उन्हें नहीं थी उचित नहीं है। साथ ही वादी को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि सत्यनारायण सिंह सड़क अधिग्रहण में लोक अभियंत्रण विभाग से मुआवजा प्राप्त किया है, क्योंकि यह संपत्ति वादी की है और उन्हें मुआवजा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। साथ ही आवेदक को कभी भी विवादित संपत्ति पर कोई हकियत प्राप्त नहीं था इसलिए वे इस मामले में किसी भी प्रकार से आवश्यक पक्षकार नहीं हैं एवं वाद की इस

अवस्था में हस्तक्षेपक का आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि यह वाद 2006 में लाया गया है एवं वर्तमान में वाद वादी के साक्ष्य हेतु लंबित है। आवेदक के आवेदन दिनांक 27.06.2019 के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि वाद संपत्ति पर किस प्रकार आवेदक का हकियत है उन्होंने अपने आवेदन में यह कहा है कि वाद की तकरारी भूमि के अंशभाग को उनके पिता रामलोचन सिंह ने बैनामा एवं जमाबंदी द्वारा प्राप्त किया था एवं रामलोचन सिंह की मृत्यु हो गई एवं वे अपने पीछे दो पुत्रों सत्यनारायण सिंह एवं आवेदक रामेश्वर सिंह को छोड़कर मर गए।

आवेदक ने अपने आवेदन में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है कि उनका अपने भाई के साथ बंटवारा हुआ था कि नहीं या वाद भूमि पर उनका भी दखल कब्जा है या उनकी हकियत है और यदि है तो इस संबंध में उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट हो कि उनका हित भी वाद भूमि से जुड़ा हुआ है अतः आवेदक इस बात को न्यायालय के समक्ष रखने में असमर्थ साबित हुए हैं कि वाद भूमि पर उनका हकियत बनता है अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हस्तक्षेपक का आवेदन दिनांक 29.06.2019 को खारिज किया जाता है।

वास्ते साक्ष्य हेतु दिनांक 24.10.2019

सब जज
सोनपुर सारण।